







\* 24. उक्त संविदा भती में किसी तरह का विवाद होने की स्थिति में श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, (इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना), पाली का ही निर्णय अनिम होगा। इसमें न्याय क्षेत्र पाली होगा।



जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (IRGY - Urban) महोदय, पाली की आज्ञा से,

  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला परिषद्, पाली

( जिला कलक्टर, पाली प्रतिनिधि – अध्यक्ष, चयन समिति )

क्रमांक प.12( )विकास /IRGY-Urban/2022 / 1821 – 1871

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. श्रीमान् शासन सचिव महोदय / निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
2. श्रीमान् सम्बागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर / उपनिदेशक (क्षेत्रीय) महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर एवं परियोजना समन्वयक महोदय (इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना), पाली।
4. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, पाली – ( जिला कलक्टर, पाली प्रतिनिधि – अध्यक्ष, चयन समिति )।
5. श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर / उपच्छण्ड अधिकारी / सचिव, नगर सुधार न्यास / प्रभारी अधिकारी (सामान्य शाखा), कलेक्ट्रेट, पाली।
6. श्रीमान् उप वन संरक्षक एवं सदस्य (इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना), पाली।
7. श्रीमान् मुख्य अधियंता (सिविल) / वित्तीय सलाहकर / परियोजना निदेशक (जन सम्पक) / एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. श्रीमान् आतिरिक्त मुख्य अधियंता / अधीक्षण अधियंता, नगर निगम, जोधपुर – उत्तर / दक्षिण।
9. श्रीमान् अधीक्षण अधियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सदस्य (इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना), पाली।
10. श्रीमान् कोषाधिकारी, पाली / उप विधि परामर्शी, कलेक्ट्रेट, पाली।
11. माननीया सभापति महोदया, नगर परिषद् पाली।
12. माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका, सुमरेपर / सोजत सिटी / जैतारण / बाली / तखतगढ़ / सादड़ी / खुड़ाला-फालना / रानी खुर्द, जिला पाली।
13. अधिकारी अधिकारी, नगर पालिका, सुमरेपर / सोजत सिटी / जैतारण / बाली / तखतगढ़ / सादड़ी / खुड़ाला-फालना / रानी खुर्द, जिला पाली।
14. अधिकारी अधियंता (सिविल), नगर परिषद् एवं सदस्य (इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना), पाली।
15. वरिष्ठ लेखाधिकारी, नगर परिषद् एवं सदस्य (इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना), पाली।
16. अतिरिक्त निजी सचिव, जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना), पाली।
17. निजी सहायक, आयुक्त, नगर परिषद् एवं सदस्य सचिव (इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना), पाली।

  
ब्रिजेश शह  
आयुक्त नगर परिषद् एवं  
सदस्य सचिव (IRGY Urban), पाली



प्रारूप

आवेदन—पत्र

इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY Urban)

जिला :— पाली

आवेदक का नाम :—					
लिंग (पुरुष / स्त्री)					
पिता / पति का नाम :—					
आवेदक की जन्म तिथि :—					
मूल निवासी :—					
पद जिसके लिए आवेदन :—					
आवेदक की शैक्षिक योग्यता :—					
वर्ग :—					
मोबाइल नम्बर :—					
ई—मेल आई.डी. :—					
शैक्षणिक स्तर	वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय	प्राप्तांक	प्रतिशत	
माध्यमिक					
सी. सैकण्डरी					
डिग्री/डिप्लोमा					
अन्य योग्यता					

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम मय पत्र व्यवहार का पता

शपथ ग्रहिता

मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ सत्य हैं एवं कोई भी तथ्य छुपाये नहीं गये हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर





प्रारूप

आवेदन-पत्र

इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY Urban)

जिला :- पाली

आवेदक का नाम :-				
लिंग (पुरुष / स्त्री)				
पिता / पति का नाम :-				
आवेदक की जन्म तिथि :-				
मूल निवासी :-				
पद जिसके लिए आवेदन :-				
आवेदक की शैक्षिक योग्यता :-				
वर्ग :-				
मोबाइल नम्बर :-				
ई-मेल आई.डी. :-				
शैक्षणिक स्तर	वर्ष	बोर्ड / विश्वविद्यालय	प्राप्तांक	प्रतिशत
माध्यमिक				
सी. सैकण्डरी				
डिग्री / डिप्लोमा				
अन्य योग्यता				

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम मय पत्र व्यवहार का पता

शपथ ग्रहिता

मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ सत्य हैं एवं कोई भी तथ्य छुपाये नहीं गये हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

क्रमांक प.12( )विकास/IRGY-Urban/2022/ 1873-1900

दिनांक 03/06/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, पाली - ( जिला कलक्टर, पाली प्रतिनिधि - अध्यक्ष, चयन समिति )।
2. श्रीमान् मुख्य अभियंता (सिविल) / वित्तीय सलाहकर / परियोजना निदेशक / संयुक्त निदेशक (जन सम्पर्क) / एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, सुमरेपर / सोजत सिटी / जैतारण / बाली / तखतगढ़ / सादडी / खुडाला-फालना / रानी खुर्द, जिला पाली।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना), पाली।
5. निजी सहायक, आयुक्त, नगर परिषद् एवं सदस्य सचिव (इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना), पाली।
6. सहायक प्रशासनिक अधिकारी / विज्ञापन शाखा, नगर परिषद्, पाली।
7. नोटिस बोर्ड, नगर परिषद् कार्यालय / जिला कलेक्टर कार्यालय / उपखण्ड अधिकारी कार्यालय / जिला परिषद् कार्यालय / नया बस स्टेण्ड / रेल्वे स्टेशन / पुराना बस स्टेण्ड / सर्फा बाजार / रामलीला मैदान / ..... / पाली पर चस्त्रा करते हुए सर्वसाधारण को वास्ते सूचनार्थ।
8. श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति की सूचना को क्रमशः (1) राज्य स्तरीय संस्करण के दो समाचार पत्रों में, (2) राजस्थान पत्रिका, पाली संस्करण के समाचार-पत्र में (3) दैनिक भास्कर, पाली संस्करण के समाचार-पत्र में स्वीकृत डी.पी.आर. / डी.ए.वी.पी. दर पर न्यूनतम साईज में प्रकाशित करवाने का श्रम करावें, जिसमें प्रकाशित विज्ञप्ति की सूचना के समस्त समाचार-पत्रों मय विपत्र (दो प्रतियों में) नियमानुसार भुगतान सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावें। साथ ही प्रकाशित विज्ञप्ति की सूचना के समस्त समाचार-पत्रों की सूचना इस कार्यालय की ई-मेल आई. डी. exenmcp@gmail.com पर भी भिजवाने का श्रम करावें।



आयुक्त नगर परिषद् एवं  
सदस्य सचिव (IRGY Urban), पाली